न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

(01)

हसन रजा बनाम् रमजान शेख वगै0

विविध वाद संख्या –46 / 2024

U/S – 144 Cr. P. C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्ष:–

1. हसन रजा, पिता – मौलाना तैयब अली,
साकिन – कुदर, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्ष:–

1. रमजान शेख, पिता – स्व0 बढ़न शेख,
2. महताब अंसारी, पिता – स्व0 हुसैनी मियां,
3. इम्तीयाज अंसारी, पिता – स्व0 हुसैनी मियां,

सभी साकिन– कुदर, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
कुदर	159	282 / 2152	3 ए0	उ0– मूलो रविदास, द0– गुलाम रसूल, पु0– बीरू मियां, प0– मूलो रविदास।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 28.03.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. क्षतिपूर्ति अभिलेख संख्या 373 / 56–57 की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. हुकुमनामा की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. पंचनामा की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. ऑफलाईन रसीद की छायाप्रति, कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. ऑफलाईन रजिस्टर II की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
7. हसन रजा के आधार की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**

29

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 29.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. केवाला संख्या – (1) 7121, (2) 7119, (3) 7100, (4) 7120, दिनांक – 07.07.2003 की छायाप्रति – कुल 0032 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. मो0 सखीबुन बनाम् गुलाम रसुल अंसारी (केवाला संख्या एवं दिनांक अस्पष्ट) की छायाप्रति – कुल 08 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. मो0 सखीया देवी बनाम् मुलू रविदास (केवाला संख्या एवं दिनांक अस्पष्ट) की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक– 313 दिनांक – 06.04.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
कुदर/10	159	282/2152	3 ए0	उ0– मूलो रविदास, द0– गुलाम रसूल, पु0– बीरू मियां, प0– मूलो रविदास।

2. **प्रथम पक्ष का कहना है कि** उक्त विवादित भूमि महाराजा कुँवर टिकैत वागेश्वरी धरण सिंह जमींदार इस्टेट चलकुश से — **प्रथम पक्ष के पूर्वज शेख लेदन**, पिता – शेख भीखन उर्फ शेख दोवात अली, वल्द शेख भीखन कौम मुसलमान को बन्दोबस्ती से प्राप्त हुआ है, बन्दोबस्ती के बाद शांतिपूर्ण दखलकार हुए तथा जमाबंदी कायम कराकर सरकारी राजस्व लगान रसीद कटाते आ रहे हैं। अपनी बात के समर्थन में प्रथम पक्ष के द्वारा क्षतिपूर्ति अभिलेख संख्या 373/56–57 की सत्यापित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है तथा शेख लेदन के नाम से कुछ सरकारी लगान रसीद भी संलग्न किया गया है।

प्रथम पक्ष की ओर से ऑफलाईन रजिस्टर II की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न की गई है, जिसमें जमाबंदी रैयत के रूप में **शेख लेदन वो शेख बढ़न** दोनों का नाम दर्ज है।

29.05.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

इस प्रकार स्पष्ट है कि रिर्टन और सरकारी लगान रसीद में केवल शेख लेदन का नाम दर्ज है, जबकि पंजी II की छायाप्रति में शेख लेदन वो शेख बढ़न दोनो का नाम दर्ज है।

3. **दिनांक – 23.04.2024 को प्रथम पक्ष की ओर से** एक आवेदन के साथ कुछ फोटोग्राफ संलग्न करते हुए यह कहा गया है कि धारा 144 लगने के बावजुद भी द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आवेदन के साथ संलग्न फोटोग्राफ को देखने पर यह प्रतित होता है कि प्रथम पक्ष की शिकायत सही है।

इसके आलोक में अनुमण्डल न्यायालय, बगोदर – सरिया का पत्रांक – 158, दिनांक – 23.04.2024 के माध्यम से थाना प्रभारी, बगोदर से कारणपृच्छा किया गया, परन्तु उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया।

थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस वाद में द्वितीय पक्ष के विरूद्ध IPC की धारा 188 के तहत् कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

पुनः तत्कालिन थाना प्रभारी, बगोदर को यह चेतावनी दी जाती है कि आगे से न्यायालय के आदेश का इस प्रकार उल्लंघन नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

4. **द्वितीय पक्ष का कहना है कि** — प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा और रिर्टन दाखिल करके उक्त जमीन को केवल लेदन उर्फ शेख दोवात अली वल्द शेख भीखन के नाम पर बन्दोबस्ती बताया गया है, जबकि पंजी II की सत्यापित प्रति में शेख लेदन एवं शेख बढ़न दोनों का नाम दर्ज है और जिसपर प्रथम पक्ष की ओर से आज तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि प्रथम पक्ष की दादी के द्वारा उक्त भूमि में से कई लोगों को रजिस्ट्री के माध्यम से बिकी किया गया है, जिसपर केता लोग दखलकार हैं, तथा दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद भी कटा रहे हैं।

5. **अंचल का प्रतिवेदन पत्रांक – 313/बगोदर, दिनांक – 06.04.2024**, के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया है कि खतियान के अनुसार विवादित भूमि गैरमजरूवा खास खाता की भूमि है, खाता नं0 – 159, प्लॉट नं0 – 282, रकबा – 75.76 ए0 जंगल साखु दर्ज है।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि पंजी II के भोलुम – 2, पृष्ठ संख्या – 168 पर शेख लेदन वो शेख बढ़न, पिता – शेख भीखन दर्ज है, साथ ही उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा चाहारदिवारी निर्माण करने की बात कही गई है।

निर्णय

A. उक्त विवादित भूमि खाता नं0 – 159, प्लॉट नं0 – 282, रकबा – 75.76 ए0 जंगल साखु दर्ज है —— इस भूमि की जमाबंदी कायम होना गलत प्रतित होता है, **अतः इस संबंध में अंचल अधिकारी, बगोदर को नियमानुसार कार्यवाई करना चाहिए।**

29.05.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

B. प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत रिर्टन तथा लगान रसीद में केवल शेख लेदन का नाम दर्ज है जबकि ऑफलाईन पंजी II की सत्यापित प्रति की छायाप्रति में शेख लेदन वो शेख बढन दोनों का नाम दर्ज है। रिर्टन और लगान रसीद को आधार बनाकर प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त संपूर्ण जमीन पर अकेले अपना दावा किया जा रहा है, जबकि पंजी II को आधार मानकर द्वितीय पक्ष भी उक्त विवादित जमीन में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं। **दो राजस्व दस्तावेज में भिन्नता होने पर हक – हकियत का निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।**

अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

29.05.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
बगोदर–सरिया।

29.05.2024

अनुमण्डल पदाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 10:54:08 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with CamScanner